अररिया समाहरणालय
(विधि व्यवस्था कोषांग)

बिहार सरकार

मोबाईल नं0 : 9431228200
दूरभाष सं0 : 06453-222001(का
06453-222102(आ
फैक्स सं0 : 06453-222124

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक 576/14/2015//EPS/76, दिनांक 17.09.2015 एवं उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पत्रांक 5182, दिनांक 22.09.2015 के आलोक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) (1) (2) (3) के तहत **मैं, हिमांशु शर्मा, भा0प्र0से0, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, अररिया** मतदान के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं स्वच्छ, शांति एवं भयमुक्त तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए सम्पूर्ण अररिया जिला क्षेत्र में **मतदान की तिथि 05.11.2015 के लिए दिनांक 03.11.2015 के अपराह्न 05:00 बजे से दिनांक 05.11.2015 को मतदान की समाप्ति तक Dry-Day घोषित करते हुए** आदेश देता हूँ कि उक्त अवधि में अररिया जिला के देशी, विदेशी, कम्पाजिट एवं सभी प्रकार की शराब दुकाने (क्लब, बार एवं रेस्तराँ सहित) बंद रहेगी ।

पुनः मतगणना के दिन दिनांक 08.11.2015 को अररिया जिला के सभी प्रकार की शराब दुकानें (क्लब, बार एवं रेस्तराँ सहित) पूर्णतया बंद रहेगी ।

उक्त अवधि में अररिया जिला के किसी होटल, भोजनालय, पाकशाला, दुकान में अथवा किसी लोक या निजी स्थान में कोई भी स्प्रीट्युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य कोई पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा और न ही वितरित किया जाएगा ।

उक्त अवधि में संबंधित लाईसेन्सी/व्यक्ति के मादक पदार्थ के भण्डारण की सीमा में भी उत्पाद नियमों के अधीन कटौती की जाएगी ।

इस आदेश की अवहेलना के लिए दोषी व्यक्ति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ग) (1) (2) (3) एवं उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी ।

यह आदेश आज दिनांक 06.10.2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया ।

ह0/-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला दण्डाधिकारी, अररिया

ज्ञापांक 65 /वि0व्य0को0, अररिया, दिनांक 6 वीं0 अक्टूबर, 2015
प्रतिलिपि : उत्पाद अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, अररिया को प्रेषित करते हुए निदेश है कि इसे अररिया जिला के आधिकारिक बेवसाईट पर अपलोड करेंगे ।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया/अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज/उप निर्वाचन पदाधिकारी, अररिया/ अपर जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, अररिया/सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष/ ओ0पी0 अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, किशनगंज/सुपौल/पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित ।

6/10/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला दण्डाधिकारी, अररिया